प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

सेवा में,

समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पत्रांक/छात्रवृत्ति/4069-73 /मु0अ0मे0बा0प्रो0यो0/2025–26 दिनांक 04 अगस्त, 2025।

विषय– मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत के पत्रांक 522/स0क0/जन0क0/2025–26 दिनांक 02 अगस्त, 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जारी गाईडलाईन के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं जिन्होने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय/कालेज/मान्यता प्राप्त रामनगर से हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट संस्थागत छात्रा के रूप में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो, को योजनान्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान किए जाने का प्राविधान है। इसके अंतर्गत **ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गयी है।**

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र ऑनलाईन कराने हेतु अपने विकासखण्ड के अधीनस्थ संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र ऑनलाईन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
04/8
(मेहरबान सिंह बिष्ट)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

पृ0सं0/छात्रवृत्ति/4069-73 /मु0अ0मे0बा0प्रो0यो0/2025–26 दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0 जनपद–चम्पावत।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक जनपद चम्पावत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार पात्र छात्राओं के आवेदन ऑनलाईन करवाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र छात्रा उक्त छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

04/8
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चम्पावत।

पत्रांक .... दिनांक 04-08-2025
अनुभाग छात्रवृत्ति (मु०मं० अल्प० मे० बा० प्रो०) - श्री कालोनी।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

मु०शि० अ०
चम्पावत

पत्रांक 572 / स0क0 / जन0क0 / 2025–26 दिनांक 02 अगस्त, 2025

विषय– मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 346 / नि.अ.क. / मु0आ0मे0बा0प्रो0यो0 / 2025–26 दिनांक 15 जुलाई 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जारी गाईडलाईन के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐ जिन्होने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद्, रामनगर / उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के अधीन किसी विद्यादय / कालेज / मान्यता प्राप्त रामनगर से हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट संस्थागत छात्रा के रूप मे 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो, को योजनान्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान किए जाने का प्राविधान है। इसके अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गयी है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र ऑनलाईन कराने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करेगें।

सलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय,

जिला समाज कल्याण अधिकार,
चम्पावत।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रषित।

1. निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चम्पावत।

Scanned with OKEN Scanner